

21/7/15

पत्रावली राज राजस्व लोक अदालत
 के बंदर हुपी/बंदी के वहील
 दफ्त/बाकी का पूल वास डिडी
 किये जाने से इस प्राप्ति के
 चलने का कोई अर्थ नही है
 अतः गुथना वर खारिज किया
 जाता है पत्रावली के लक्षण से
 तब ही यह हो सके दफ्तर दाखिल
 हो
 क